मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग
<u>मंत्रालय, भोपाल</u>

3 FEB 2018

क्रमांक ....15....................../2018 भोपाल, दिनांक ..3..../02/2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागायुक्त
4. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय :- शासकीय सेवकों के लिए आयोजित किये जाने वाले "आनंद शिविर" के संबंध में।

संदर्भ :- 1. म.प्र.शासन,सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्र. एफ 11-72/2016/1/9 दिनांक 14/12/16
2. म.प्र.शासन आनंद विभाग का ज्ञाप क्र. 151/आ.वि./बजट/2017 दि. 21/06/17
3. राज्य आनंद संस्थान का पत्र क्र. 437/आ.सं./आ.शि./2017 दिनांक 16/10/17

—00—

प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए 'आनंद शिविर' आयोजित करने हेतु (1) आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बैंगलौर, (2) ईशा फाउन्डेशन कोयम्बटूर एवं (3) आई.ओ.एफ.सी. पंचगनी, पुणे संस्थानों के साथ राज्य आनंद संस्थान ने एम.ओ.यू निष्पादित किया है। इन 'आनंद शिविर' के संबंध में उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जो वेबसाईट **www.anandsansthanmp.in** पर उपलब्ध है।

उक्त निर्देशों के संबध में अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जा रहें है जिनसे यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. प्रत्येक शासकीय सेवक को केवल एक ही 'आनंद शिविर' में भाग लेने की पात्रता होगी।
2. यदि कोई शासकीय सेवक पंजीयन के समय त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर एक से अधिक बार आनंद शिविर में भाग लेता है तो उस आनंद शिविर का प्रशिक्षण शुल्क, यात्रा भत्ता एवं पंजीयन शुल्क उसके वेतन से वसूला जायेगा ।
3. यदि कोई शासकीय सेवक अपना पंजीयन करवाने के पश्चात किसी 'आनंद शिविर' में भाग नही लेना चाहता है तो उसकी 'पूर्व सूचना' कारण सहित राज्य आनंद संस्थान को ई-मेल **anandsansthanmp@gmail.com** पर प्रेषित करना होगी, अन्यथा 'आनंद शिविर' का प्रशिक्षण शुल्क संबंधित शासकीय सेवक के वेतन से वसूला जायेगा।
4. नियंत्रणकर्ता अधिकारी किसी शासकीय सेवक को आनंद शिविर में भाग लेने की अनुमति देते समय संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही अनुमति जारी करें, जिसमें यह उल्लेख है कि आवेदक "राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित होने वाले आनंद शिविर में पहली बार शामिल हो रहे हैं।"

5. प्रत्येक शासकीय सेवक संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसे आनंद शिविर में पंजीयन करते समय संस्थान की वेबसाईट **www.anandsansthanmp.in** पर अपलोड करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

प्रारूप

कार्यालय ....

अनुमति पत्र

(आनंद शिविर में पंजीयन हेतु शासकीय सेवक को नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला अनुमति पत्र)

--00--

(नाम)श्री/श्रीमती.........................(पद).................(पदस्थापना कार्यालय स्थल) .... विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम ....को राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण संस्था................................द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक आयोजित होने वाले आनंद शिविर में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शिविर अवधि को 'कर्तव्य' पर माना जायेगा।

श्री/श्रीमती....................राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित होने वाले 'आनंद शिविर' में पहली बार शामिल हो रहे हैं।

दिनांक :-
स्थान :-

हस्ता.
(नियंत्रणकर्ता अधिकारी)
नाम :-
पद :-
कार्यालय :-
सील :-